संख्या–208 / 14–2–2017–800 (151) / 2016

प्रेषक,

आशीष तिवारी,
विशेष सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक (केन्द्रीय)
भारत सरकार, पर्यावरण,, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
क्षेत्रीय कार्यालय, केन्द्रीय भवन
पंचम तल सेक्टर एच, अलीगंज विस्तार
लखनऊ।

वन एवं वन्य जीव अनुभाग–2 लखनऊ, दिनांक 16 फरवरी, 2017

विषयः– 400 के0वी0 डबल सर्किट मैनपुरी–अलीगढ़ पारेषण लाइन के निर्माण हेतु **एटा में** 0.46 हे0 संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग व 01 वृक्ष का पातन, **अलीगढ़ में** 1.8354 हे0 आरक्षित व 0.0276 हे0 संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग व 02 वृक्षों के पातन, **हाथरस में** 0.8544 हे0 संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग व 80 वृक्षों के पातन कुल 3.177404 हे0 संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग व उस पर अवस्थित 83 वृक्षों के पातन की अनुमति के सम्बंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कृपया अपने कार्यालय संख्या–8बी / 04 / 99 / 2016 / एफसी / 421 दिनांक 02–02–2017 का संदर्भ ग्रहण करें, जिसके माध्यम से विषयक प्रकरण में कतिपय बिन्दुओं पर सूचनायें एवं तत्संबंधी अभिलेख उपलब्ध किये जाने की अपेक्षा की गई है। तत्क्रम में मुख्य वन संरक्षक / नोडल अधिकारी के पत्र संख्या–1631 / मैनपुरी / अलीगढ़ लाइन / समेकित / 13285 / 2015, दिनांक 02–02–2017 द्वारा स्थलीय निरीक्षण रिपोर्ट निर्धारित प्रारूप में शासन को उपलब्ध कराया गया है।

2– अतएव मुख्य वन संरक्षक / नोडल अधिकारी के पत्र दिनांक 02–02–2017 द्वारा उपलब्ध कराये गये सूचनायें एवं तत्संबंधी अभिलेख प्रेषित करते हुये मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया वन (संरक्षण) अधिनियम,1980 के प्राविधानों के अन्तर्गत अग्रेतर कार्यवाही करने का कष्ट करें।

संलग्नकः– यथोपरि।

भवदीय,

(आशीष तिवारी)
विशेष सचिव।

संख्या–208(1) / 14–2–2017–तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– मुख्य वन संरक्षक / नोडल अधिकारी, उ0प्र0,लखनऊ।
2– गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(भूपेन्द्र बहादुर सिंह)
अनु सचिव।